


21/03/24

Notarary

by Adv. Subhash

अधिवक्ता अधीलॉट उपस्थित) उक्त में अधिवक्ता
 अधीलॉट द्वारा निवेदन किया कि अधीलॉट
 उक्त अधीलॉट के आगे नहीं चलना चाहते हैं।
 उक्त पञ्जाबली परिषद निर-प्रेस खारिज फरमान
 जारी अधिवक्ता अधीलॉट का निवेदन ग्राह्यता
 में स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अधीलॉट
 परिषद निर-प्रेस खारिज की जाती है। पञ्जा-
 बली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही
 हाजिल पुस्तक हो।


 अधिवक्ता
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 पाली